



नैनीताल बैंक

शाखा : सिटी बैंकवेट हॉल, हरिद्वार रोड, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड फोन-7055101580, ई-मेल : hariwarrrd.ddn@nainitalbank.co.in

ई-नीलामी सूचना

सरफाएसी अधिनियम 2002 के तहत ऑनलाइन ई-नीलामी माध्यम से आस्तियों की बिक्री

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, विनीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत नैनीताल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 22.11.2023 को एक मांग नोटिस जारी कर उधारकर्ताओं से आवेदन किया है 1. मेसर्स देवभूमि एंटरप्राइजेज, 2. अंजू रानी पत्नी दीपक कुमार पुत्री काशी राम (उधारकर्ता/मालिक), 3. दीपक पुत्र महेश चंद (जमानती), 4. राजू शर्मा पुत्र हरी शंकर शर्मा (जमानती), दिनांक 16.11.2023 तक रुपये 98,03,775.38 (रुपये अठानवे लाख तीन हजार सात सौ पचहत्तर और अड़तीस पैसे मात्र) प्लस सुरक्षित परिसंपत्तियों की सुरक्षा पर ब्याज और अन्य व्यय उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर दिनांक 17.11.2023 से प्रभावी। चूंकि उधारकर्ता उक्त डिमांड नोटिस में मांगे गए अनुसार बैंक को पूरी राशि/बकाया राशि चुकाने में विफल रहे हैं, बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के साथ उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के साथ 04.03.2024 को नीचे वर्णित संपत्ति का बैंक के बकाए की वसूली के लिए इसे बेचने के अधिकार के साथ सांकेतिक कब्जा एवं दिनांक 15.02.2025 को भौतिक कब्जा ले लिया है। अधोहस्ताक्षरी धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत उल्लिखित संपत्ति की बिक्री द्वारा बैंक के बकाए की वसूली करने का प्रस्ताव करता है। तदनुसार, आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी एवं जमानतदारों को यह सूचना दी जाती है कि सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक रखी गई नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा सुरक्षित ऋणदाता नैनीताल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित राशि की वसूली के लिए ई-नीलामी के माध्यम से 'जैसा है जहां है', 'जैसा है', 'जो कुछ भी है' और 'कोई सहारा नहीं' के आधार पर बेचा जाएगा, साथ ही सुरक्षित ऋणदाता नैनीताल बैंक को देय अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय भी वसूला जाएगा। एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी संचालित करने जा रहे हैं।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) का नाम तथा पता	सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की स्थिति	ईएमडी/बिड राशि जमा करने हेतु खाता संख्या	ईएमडी जमा करने की तिथि व समय	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय	आरक्षित मूल्य ईएमडी
1. मेसर्स देवभूमि इण्टरप्राइजेज (कर्जदार फर्म/प्रोपराइटरशिप फर्म) द्वारा प्रोपराइटर अंजू रानी पत्नी दीपक कुमार पुत्री काशी राम इण्टरप्राइज का कार्यालय: चक नं. 127, भोगपुर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।	बंधक अचल सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जिसका क्षेत्रफल 0.136 हेक्टेयर (चक नं. 127 जिसका कुल क्षेत्रफल 2.591 हेक्टेयर का एक चौथाई हिस्सा 0.648 हेक्टेयर है, जो कि खसरा नं. 357 क्षेत्रफल 0.005 हेक्टेयर, खसरा नं. 358 क्षेत्रफल 0.030 हेक्टेयर, खसरा नं. 359/3 क्षेत्रफल 0.415 हेक्टेयर, खसरा नं. 361/2 क्षेत्रफल 2.105 हेक्टेयर, खसरा नं. 395/1 क्षेत्रफल 0.030 हेक्टेयर, खसरा नं. 396/1 क्षेत्रफल 0.006।) सम्पत्ति ग्राम भोगपुर, परमना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार में स्थित है। सम्पत्ति उप निबन्धक-1, हरिद्वार के कार्यालय में बही नं. 1, जिल्द नं. 2444, पेज नं. 175-188, क्रमांक 8852 दिनांक 23.11.2012 को अंजू रानी के नाम पर दर्ज है। सीमाएं - पूर्व में सारिका टाकुर की भूमि, पश्चिम में सुन्दर लाल की भूमि, उत्तर में सुन्दर लाल का प्लॉट, दक्षिण में सेक्टर मार्ग।	भौतिक	ईएमडी जमा करने की तिथि व समय	ईएमडी जमा करने की तिथि व समय	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय	आरक्षित मूल्य ईएमडी
2. अंजू रानी पत्नी दीपक कुमार पुत्री काशी राम (कर्जदार/प्रोपराइटर), नि 0 309, भोगपुर हरिद्वार, उत्तराखण्ड-247663	22.11.2023 04.03.2024 ₹ 1,01,14,831.73 (रुपये एक करोड़ एक लाख चौदह हजार आठ सौ इक्कीस एवं पैसे तिहत्तर मात्र) दिनांक 03.04.2024 तक + ब्याज और अन्य व्यय दिनांक 04.04.2024 से	भौतिक	ईएमडी/बिड राशि जमा करने हेतु खाता संख्या : 1004209200000025 आईएफएसी कोड : NTBL0DEH100 अर्थात दि नैनीताल बैंक लि० के नाम से एवं देहरादून में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक की हरिद्वार रोड शाखा में जमा किया जाये	ईएमडी जमा करने की तिथि व समय : 21.05.2025 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित)	19.05.2025 10.00 AM TO 03.00 PM	₹ 42,000,000.00 (रुपये बयालिस लाख मात्र) ₹ 4,20,000.00 (रुपये चार लाख बीस हजार मात्र) ₹ 50,000.00 (रुपये पचास हजार मात्र)
3. दीपक पुत्र महेश चन्द (जमानती), नि 0 मकान नं. 98, टी.एच.डी.सी. कॉलोनी, देहरादून, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड - 248001						
4. राजू शर्मा पुत्र हरि शंकर शर्मा (जमानती), नि 0 सैनिक कॉलोनी, केहरी गांव, प्रेम नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड-24007						

ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियम एवं शर्तों सहित अधिक विवरण के लिए इच्छुक सभी भागीदारों/बोलीदाताओं से वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> तथा www.nainitalbank.co.in (बैंक की साइट) देखने का निवेदन किया जाता है और अधिक जानकारी, नियम एवं शर्तों, ई-नीलामी में भाग लेने की प्रक्रिया के लिए बैंक के सेवा प्रदाता ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, श्री राम प्रसाद, सम्पर्क नम्बर 8000023297 तथा ई-मेल : ramprasad@auctiontiger.net पर सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।

यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता के लिए सांविधिक 15 दिवसीय बिक्री सूचना है।

स्थान : देहरादून, उत्तराखण्ड

दिनांक : 20.04.2025

प्राधिकृत अधिकारी, दि नैनीताल बैंक लिमिटेड